न्यायालय जिला कलकटर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः—प्रकाश राजपुरोहित

अपील संख्या 42/2012

1. नूरअहमद
2. रमजान मोहम्मद पि. गुलामबैस ज़ाति मुसलमान नि. ढ़ाणी चक 37 एन.जी.सी. तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ।

——अपीलान्टान

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया,

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध इन्तकाल न. 267 ता. 3.11.2004 चक 19 एफ.टी.पी. तहसील संगरिया।

उपस्थितः—1—श्री दिनेश शर्मा वकील अपीलान्टान
2—श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से

निर्णय दिनांकः—08.02.2017

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि इन्तकाल न. 267 ता. 3/11/2004 चक 19 एफ.टी.पी. तहसील संगरिया कतई विधि विरूध तथ्यों के विपरीत रिकार्ड के विपरीत, कानून के विपरीत बिना विधिक प्रकिया की पालना किये दिया गया है जो काबिल निरस्त के हैं। इन्तकाल के आधीन भूमि चक 19 एफ.टी.पी. प0 न0 161/248 के कि.न. 11, 20, 21 का 0.19 है, 22, प.न. 160/248 कि.न. 7 ता 9, 12 ता 17, 18 का 0.177 है., 19 का 0.063 है., 24 का 0.063 है. व 25 का 0.127 है. प.न.—161/249 कि 2 का 0.19 है. कुल 3.846 है. भूमि रकबा राज थी। उक्त भूमि पूर्व में कोठी सिंचाई विभाग के नाम से दर्ज थी लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा इस स्थल को सरैन्डर कर दिया था और तत्पश्चात यह भूमि जरिये इन्तकाल नं. 33 ता. 6.11.82 को रकबाराज दर्ज हो गई और सिंचाई विभाग

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official

का नाम कलमजन कर दिया गया तब से यह भूमि टीसी पर दी जाती रही थी। इस प्रकार हम साधिकार काबिज है। व बिना कानूनी प्रक्रिया के बेदखल नहीर किये जा सकते है। उक्त भूमि प्रार्थीयान के पिता जब जीवित थे तब उक्त भूमि टीसी पर प्रार्थीयान के पिता गुलामबैस को अलाट होती रही। गुलामबैस की मृत्यु के बाद उक्त भूमि प्रार्थीयान व अप्रार्थीयान के अविवाहित भाई नूरजमाल तीनों को अलाट होती रही। नूरजमाल ता. 2.3.98 को फौत हो गया। उसके बाद यह भूमि मात्र प्रार्थीयान को टीसी पर अलाट होती रही। उक्त भूमि आज रोज तक प्रार्थीयान के कब्जा व कास्त में है। प्रार्थीयान उक्त भूमि पर ट्रैसपासर नहीं है। बल्कि टीसी होल्डर के रूप में काबिज थे और टीसी होल्डर टैसपासर नहीं होता। उक्त भूमि 9.9.98 है. थी जिसमें से बकाया भूमि अन्य लोगो को पुख्ता अॅलाट की गई है लेकिन प्रार्थीयान को अलॉट नहीं की गई। प्रार्थीयान द्वारा अलॉटमेंट का प्रार्थनापत्र तहसील संगरिया में आवंटन अधिकारी को पेश किया हुआ है। उक्त भूमि आवंटन का प्रथम अधिकार कानून के अनुसार अपिलान्टान का बनता है। प्रार्थीयान राजस्थान के मूल निवासी है तथा प्रार्थीयान आवंटन की तमाम शर्तो को पूर्ण करते है तथा तमाम आर्हाताये पूर्ण करते है। उक्त भूमि जब अपिलान्टान के कब्जा में लगातार 1984 से टीसी पर चली आ रही थी। जो अब टीसी पर नहीं दी गई तथा प्रार्थीयान का कब्जा होते हुए भी उक्त इन्तकाल नं. 267 प्रार्थीयान को बिना सुने बिना बताये बिना कोई कानूनी कार्यवाही किये बिना कोई नोटिस दिये तथा बिना कोई जबाबदेही का अवसर दिये, दिया गया है जो कि न्याय के सिधान्तो के विपरीत है। उक्त भूमि सिंचाई विभाग द्वारा एक बार जब सरैन्डर कर दी गई तो पुनः उस भूमि को सरैन्डर कर्ता को वापिस देने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए इन्तकाल न. 267 ता. 30.11.2004 में भूमि पुनः तबदील करना विधि विरूध है। तथा इस प्रकार का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तथापि प्रार्थीयान जो कि मोका पर काबिज थे व है तो प्रार्थीयान को सुना जाना आवश्यक था। प्रार्थीयान की ढाणी मोका पर इस कृषि भूमि में बनी हुई है जहां प्रार्थीयान की रिहायस है। यह कि उक्त इन्तकाल रहने से प्रार्थीयान के हितो पर बुरा असर पड़ता है प्रार्थीयान टीसी होल्डर होने के कारण ट्रैसपासर नहीं है। जब तक प्रार्थीयान का अलॉटमेन्ट का प्रार्थना पत्र है तब तक प्रार्थीयान को बेदखल करने का कोई आधार नहीं बनता। प्रार्थीयान की माता भी फौत हो चुकी है। अपिलान्टान को इस इन्तकाल के बारे में जानकारी नहीं थी अपिलान्टान को 20–25 रोज पूर्व तहसीलदार महोदय व पटवारी हल्का मोका पर गये व प्रार्थीयान को भूमि छोडकर खाली करने का कहा तब प्रार्थीयान ने अपने आपको टीसी धारक बताते हुए तमाम कथन बताये। तब प्रार्थीयान ने इस मामला में वकील से सलाह कर रिकार्ड की छानबीन की तब पता चला कि उक्त भूमि जो आराजी राज काबिल कास्त है उस भूमि को इस इन्तकाल के जरिये बिना सुनवाई का अवसर दिये कोठी महकमा के नाम दर्ज कर दिया तब उसकी नकल ता. 1.11.12 को प्रार्थीयान ने हासिल की। तब सारी स्थिति का पता चला और सारा रिकार्ड इस सम्बन्ध में प्राप्त किया तब सारी स्थिति सामने आई कि उक्त भूमि चुपचाप इस इन्तकाल के जरिये कोठी महकमा के रूप में दर्ज कर दी गई। ता. 1.11.12 से पूर्व इस इन्तकाल की कोई जानकारी प्रार्थीयान को नहीं थी। जानकारी होते ही इससे सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त कर अपील

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

प्रस्तुत की जा रही है। जो जानकारी की ता. 1.11.12 से अन्दर मियाद है। इसलिए अपील पेश करने के अधिकारी है। और सुनवाई का अवसर प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए अपीलान्टान द्वारा यह अपील की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा प्रश्नगत भूमि को सरैन्डर कर दिये जाने के बाद यह भूमि जरिये इन्तकाल नं0 33 दिनांक 06.11.82 को रकबाराज दर्ज हो गई। यह भूमि रकबाराज के पश्चात टी.सी. पर दी जाती रही थी। प्रश्नगत भूमि अपीलान्टान के पिता को टी. सी. पर अलाट होती रही है। उक्त भूमि आज रोज तक अपीलान्टान के कब्जा व काश्त में है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्टान ट्रेसपासर नही है टी.सी. होल्डर के रूप में काबिज थे। प्रार्थीयान द्वारा अलाटमेन्ट का प्रार्थना पत्र तहसील संगरिया में आवंटन अधिकारी को पेश किया हुआ है। अपीलान्टान को बिना कोई नोटिस दिये तथा बिना सुने प्रश्नगत भूमि का कोठी महकमा के रूप में दर्ज कर दी गई है। अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार संगरिया द्वारा एक तरफा इन्तकाल दर्ज नही किया गया है। तसहीलदार संगरिया द्वारा उपखण्ड अधिकारी संगरिया के आदेश की पालना में प्रश्नगत भूमि का इन्तकाल दर्ज किया गया है। अपीलान्टान द्वारा की गई अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है। अपील अपीलान्टान खारिज फरमाई जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील इन्तकाल संख्या 267 दिनांक 03.11.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी के वकील ने दोराने बहस यह कथन किया कि अपीलान्टान को बिना सुने प्रश्नगत भूमि का इन्तकाल दर्ज कर दिया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत इन्तकाल की प्रति का अवलोकन करने पर उपखण्ड अधिकारी संगरिया के आदेश की पालना में तहसीलदार संगरिया द्वारा इंतकाल दर्ज किया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अपीलान्टान की अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्टान खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख तहसीलदार संगरिया को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय दिनांक 08.02.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़